उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-126/2018/2189/92-2-18-66जॉच/2015,

लखनऊ:: दिनांक:: 20 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

वर्ष 2013-14 में जनपद चित्रकूट के 22 चयनित ग्रामों में से 12 ग्रामों के कार्यों हेतु प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति में सीमेंट की दरों में अधिक दरें स्वीकृत करने के कारण परिलक्षित रू0 5,94,273.00 की शासकीय क्षति के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-29/2016/1216/92-2-16-66(जांच)/2015, दिनांक 29.06.2016 द्वारा श्री मसीहुद्दीन हसन, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 03.08.2016 द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया कि आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री मसीहुद्दीन हसन को तामील कराकर कर तामीली रसीद उपलब्ध करायें, जिसके क्रम मे उनके द्वारा दिनांक 23.09.2016 को पंजीकृत डाक द्वारा आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री हसन को प्रेषित किया गया। जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 08.11.2016 द्वारा अपचारी अधिकारी को बचाव उत्तर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। निदेशालय तथा जांच अधिकारी से कई बार पत्र निर्गत करने के बावजूद अपचारी अधिकारी श्री हसन का बचाव उत्तर प्राप्त न होने पर जांच अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 22.12.2016 एवं पत्र दिनांक 28.01.2017 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने संबंधित पत्र निर्गत किया गया। अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर जांच अधिकारी को नहीं प्राप्त होने पर जांच अधिकारी द्वारा एक पक्षीय जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 11.08.2017 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की एक पक्षीय जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 03.10.2017 तथा अनुस्मरण पत्र दिनांक 06.03.2018 एव दिनांक 16.07.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/ अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 30.07.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री मसीह उद्दीन हसन के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में प्रमाणित आरोप निम्नवत है:-

प्रखण्ड चित्रकूट के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 22 ग्रामों को सी0सी0 रोड निर्माण कार्य हेतु चयनित किया गया था। उनके द्वारा जिनमें से 12 ग्रामों के निर्माण कार्यों हेतु तकनीकी स्वीकृति मे सीमेन्ट की दरें शिड्यूल दरों से अधिक देते हुए शासकीय क्षति पहुंचाई गई जबकि शेष 10 डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के प्राक्कलन शिड्यूल दर से ही स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार शिड्यूल दर से अधिक दर पर प्राक्कलन स्वीकृत करने में रू0 5,94,273.00 (रूपये पांच लाख चौरान्बे हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) की शासकीय क्षति पहुंचायी गयी है। उनके द्वारा शासकीय सेवा में अपने कर्तव्यों के प्रति बरती गयी लापरवाही के कारण 12 ग्रामों के सी0सी0 रोड कार्यों में प्रखण्ड चित्रकूट से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार रू0 5,94,273.00 मात्र की शासकीय धनराशि की क्षति हुई, जिसकी धनराशि का 25 प्रतिशत रू0 1,48,568.00 (रूपये एक लाख अड़तालिस हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) के लिये उनको उततरदायी पाया गया।

4- श्री मसीह उद्दीन हसन, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के अभ्यावेदन दिनांक 30.07.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में उनके विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 1,48,568.00 को अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट के कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट संख्या-925726, दिनांक 27.04.2018 द्वारा जमा कर दिया गया है और निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को दिनांक 27.04.2018 को सूचित भी किया जा चुका है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों/अभिलेखों को संज्ञान में रखते हुए श्री मसीह उद्दीन हसन, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गयें है, जिससे उनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नहीं रह गया है तथा प्रश्नगत प्रकरण में परिलक्षित शासकीय धनराशि रू0 1,48,568.00 राजकोष में जमा कर दिये जाने के द्रष्टिगत उक्त धनराशि को समायोजित मानते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-29/2016/1216/92-2-16-66(जांच)/2015, दिनांक 29.06.2016 द्वारा सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-126/2018/2189(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री मसीह उद्दीन हसन, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।